

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक न्यायालय मुकाम लुटोहीविठ्ठलसिंह बनाम शालु रामकिस्म मुकदमा 88, 188 R.T Act नं. 68 सन् 2019

तारीख/ हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुआ
3/3/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्ष काराम उप०। वकीलवादी को प्रतिवादी सं. 1, 5 से 11 के R.T Act सम्मन व प्रतिवादी सं. 12 से 19 के जवाबदापू हेतु पूर्णतः अवसर दिये जाने से यह सर्वथा अंतिम अवसरु दिना ज्ञाकर पत्रावली दिनांक 2/4/25 को पेश की।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलेक्टर सिरोही (राज०)</p>	
2/4/25	<p>काराम बाधकता उपस्थित। बाज साहब प्रोर्टा कॉल में पखादे हो इस पत्रावली इलतबा होकर दिनांक 7/5/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>7/5/25</u></p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुस्थित। दौराने सुनवाई वकील वादी को हाजिर होने के लिए बार-बार आवाजे लगवाने के बावजूद न्यायालय समय तक हाजिर नही होने से विचाराधीन उक्त प्रकरण अधारा 88, 188 R.T Act का वकील वादी की अदम पैरवी/अदम हाजिरी में खारीज की जाती है। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया पत्रावली फैसल शूमार. होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलेक्टर सिरोही (राज०)</p>	